

पचां डिक्री

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़**

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

फि0न0 402/2025

1 विष्णु पुत्र रामेश्वर

2 प्रेम कुमार पुत्र रामेश्वर

जाति बिश्नोई निवसी 4 केएसपी तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

1 सन्तोष देवी पुत्री रामेश्वर पत्नी कुलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी 83 एल.एन.पी., श्रीगंगानगर
तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2 शोभा पुत्री रामेश्वर पत्नी सतपाल जाति बिश्नोई निवासी जोडकिया तहसील तहसील व जिला
श्रीगंगानगर।

3 सोमा पुत्री रामेश्वर पत्नी लोकेश कुमार जाति बिश्नोई निवासी डोडेवाला तहसील व जिला
फाजिल्का।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 17/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं0 25 एन.जी.सी के खाता सं0 55/54 में कुल 0.759 है0 मे से बिरमा के 1/3 हिस्सा तथा चकनं0 1 केएसपी बी के खाता सं0 54/94 में कुल 1.225 है0 में से बिरमादेवी 1/3 हिस्सा, चकनं0 14 जीजीआर के खाता सं0 94/185 में अंकित कुल 1.139 है0 मे से बिरमा देवी 1/3 हिस्सा की आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चकनं0 25 एन.जी.सी के खाता सं0 55/54 मे से बिरमा का नाम कलमजन, चकनं0 1 केएसपी बी के खाता सं0 54/94 मे से बिरमा देवी व चकनं0 14 जीजीआर के खाता सं0 94/185 मे से बिरमा का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पचां डिक्री आज दिनांक 17/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



27
उपखण्ड अधिकारी
(सत्यनारायण ए.एस.)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।